

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 170 / 06

संस्थित दि.: 12 / 04 / 06

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

1. मुमताज खान पिता जुम्मन खान, उम्र 65 साल,  
निवासी भीमजोरी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.) (मृत)
2. भुरु उर्फ इसराईल पिता मुमताज खान, उम्र 48 साल,  
निवासी भीमजोरी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 11 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर मध्यप्रदेश गौवंश बध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 एवं 9 तथा पशुकूरता अधिनियम की धारा 11 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 19.02.2006 को समय करीब 12:10 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, थानान्तर्गत मलाजखण्ड में शासन द्वारा परिरक्षित पशु बैल को बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से वध किया एवं अपने आधिपत्य में एक बैल को अयुक्तियुक्त रूप से बांधकर रखा तथा अनावश्यक पीड़ा के वंशीकृत किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलाजखण्ड में को दिनांक 19.02.2006 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भीमजोरी का मुमताज खान एवं इसराईल खान उर्फ भुरु खान द्वारा बुढ़े एवं असहाय कृषि पशु का निर्दयता एवं कूरतापूर्वक कत्ल किया गया तथा एक वृद्ध बैल को कत्ल करने के लिये बांधकर रखा

गया है। सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप प्रधान आरक्षक 437, आरक्षक 327, 847, 586 को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी कर घटनास्थल पर मवेशी के ताजा मास, हड्डी सिर पैर एक बाटा में रखा हुआ पाया गया, एक दुर्बल असहाय बैल सफेद रंग का पाया गया जिससे कत्ल करने के लिये बांधकर रखा गया था। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/06 अन्तर्गत मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अध्यादेश सन 2005 की धारा 5, 9 एवं धारा पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध पशु कूरता निवारण अधिनियम धारा की धारा 11 एवं धारा 5, 9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अध्यादेश के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी भुरु उर्फ इसराईल का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने रंजिशवश उसके विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे फंसाया है।

(05) आरोपी भुरु उर्फ इसराईल के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी भुरु उर्फ इसराईल ने दिनांक 19.02.2006 को समय करीब 12:10 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, मुमताज खान के घर के पास बाड़ी में थानान्तर्गत मलाजखण्ड में शासन द्वारा परिरक्षित पशु बैल को बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से वध किया ?
- (ब) क्या आरोपी भुरु उर्फ इसराईल ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में एक बैल को अयुक्तियुक्त रूप से बांधकर रखा तथा

अनावश्यक पीड़ा के वंशीकृत किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता डी.आर.बरकड़े (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना मलाजखण्ड में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण बूढ़े एवं असहाय, कृषि पशुओं को निर्दयता एवं क्रूरतापूर्वक कत्ल कर रहे हैं एवं एक वृद्ध बैल को कत्ल करने के लिये बांधकर रखा है। हमराह स्टाप के साथ घटनास्थल पर जाकर घेराबंदी की जहां से आरोपी मुमताज एवं आरोपी इसराईल एक मवेशी का कत्ल करके घटनास्थल से भाग गये थे। घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष ताजा मांस, हड्डी, पैर व सिर वजनी लगभग 30 किलोग्राम एक बोरे में बंध करके रखा था एवं लोहे की कत्ती, एक वृद्ध सफेद रंग के बैल गले में रस्सी बंधी हुई जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 के अनुसार जप्त किये। आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 एवं 04 तैयार किया। थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/06 अन्तर्गत धारा 5, 9 म.प्र. गौवंश बध प्रतिषेध अध्यादेश एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-07 है। जप्त सामग्री परीक्षण हेतु बिरसा पशु चिकित्सालय भेजी थी। दिनांक 20.02.2006 को आरक्षक मुकेश अडमें के द्वारा एक सीलबंद प्लास्टिक की बरनी में मांस के टुकड़े एवं हड्डी तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की बरनी में नमक को घोल साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। जप्त सामग्री को परीक्षण हेतु तात्कालिक अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोग शाला सागर भेजा था, जिसका पत्रक प्रदर्श पी-08 है एवं साक्षी बसन्त और रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये।

(08) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक बिठोला पारधी (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना

मलाजखण्ड में कार्यरत् रहते हुये ए.एस.आई. बरकड़े एवं पुलिस बल हमराह स्टाप के साथ मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर ग्राम भीमजोरी मुमताज खान के घर के पास बाड़ी में मुमताज खान और इसराईल ने बैल को काट डाला था आरोपीगण पुलिस को देखकर भाग गये थे। सहायक उपनिरीक्षक डी.एस.बरकड़े ने वहां से कुछ मास, हड्डी, पैर लोहे की कत्ता काटने वाले की जप्ती तैयार की थी एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संतोष चतुर्वेदी (अ.सा.08) एवं के.एन.नंद (अ.सा.09) तथा टीकाराम (अ.सा.12) व दिलीप पटले (अ.सा.10) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना मलाजखण्ड में आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये जानवर काटने की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक डी.एस.बरकड़े के साथ ग्राम भीमजोरी घटनास्थल पर गया था तो एक जानवर की हड्डी व मास तथा अन्य जानवर गाय, बैल मिले थे। घटनास्थल पर आरोपी इसराईल एवं एक अन्य व्यक्ति था। आरोपीगण ने बैल काटने पीटने के लिये रखे हुये थे।

(09) अभियोजन साक्षी/डाक्टर अरुण नेमा (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 20.02.2006 को कृतिक गृर्भाधान केन्द्र बिरसा में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत् रहते हुये हड्डी एवं मांस का परीक्षण किया था जिसमें उसने हड्डी, मांस, आंत को परीक्षण हेतु लेब सागर भेज दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है तथा एक बैल का परीक्षण थाने में ही किया था। बैल बहुत अधिक उम्र का एवं कमजोर था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(10) अभियोजन साक्षी अरविंद हरिमाटे (अ.सा.01) का कहना है कि उसके सामने मुकेश अडमे से दो बरनी जो सीलबंद थी जप्त की थी जप्त पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि किस जानवर का मास जप्त किया था वह नहीं बता सकता।

(11) अभियोजन साक्षी राजू राहंगडाले (अ.सा.07) का कहना है कि उसके सानमे बसंत कुमार ने कोई बैल सुदर्पनामे पर नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसने एक सफेद रंग का वृद्ध बैल चांगोटोला भेजने के लिये सुपुर्दनामे पर लिया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पुलिसवालों ने जैसे बताया था वैसे ही बयान वह दे



रहा है। उसने बैल कटते हुये नहीं देखा और पुलिसवालो को सूचना भी नहीं दी थी। पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

(12) अभियोजन साक्षी सुभाष कुमार (अ.सा.11) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी भुरु उर्फ इसराईल को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने आरोपी भुरु उर्फ इसराईल को उसके सामने गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया एवं अभियोजन साक्षी टेबल प्रसाद (अ.सा.04) का कहना है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भुरु उर्फ इसराईल को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है।

(13) अभियोजन साक्षी दलपतसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि उसके सामने आरोपी मुकेश आडमे से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी उसके सामने प्लास्टिक की बरनी में मास के टुकड़े व हड्डी इस बात से इन्कार किया।

(14) आरोपी भुरु उर्फ इसराईल एवं आरोपी भुरु उर्फ इसराईल के अधिवक्ता का बचाव है कि पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अपने प्रकरण को बनाये रखने हेतु असत्य कथन किये हैं। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी भुरु उर्फ इसराईल एवं आरोपी भुरु उर्फ इसराईल के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता डी.आर.बरकड़े (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना मलाजखण्ड में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण बूढ़े एवं असहाय, कृषि पशुओं को निर्दयता एवं क्रूरतापूर्वक कत्ल कर रहे हैं एवं एक वृद्ध बैल को कत्ल करने के लिये बांधकर रखा है। हमराह स्टाप के साथ घटनास्थल पर जाकर घेराबंदी की जहां से आरोपी मुमताज एवं आरोपी इसराईल एक मवेशी का कत्ल करके घटनास्थल से भाग गये थे। घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष ताजा मांस, हड्डी, पैर व सिर वजनी लगभग 30 किलोग्राम एक बोरे में बंध करके रखा था एवं लोहे की कत्ती, एक वृद्ध सफेद रंग के बैल गले में रस्सी बंधी हुई जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 के अनुसार जप्त किये। आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 एवं 04 तैयार किया। थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15 / 06 अन्तर्गत धारा 5, 9 म.प्र. गौवंश बध प्रतिषेध अध्यादेश एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-07 है। जप्त सामग्री परीक्षण हेतु बिरसा पशु चिकित्सालय भेजी थी। दिनांक 20.02.2006 को आरक्षक मुकेश अडमें के द्वारा एक सीलबंद प्लास्टिक की बरनी में मांस के टुकड़े एवं हड्डी तथा एक सीलबंद प्लास्टिक की बरनी में नमक को घोल साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। जप्त सामग्री को परीक्षण हेतु तात्कालिक अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा था, जिसका पत्रक प्रदर्श पी-08 है एवं साक्षी बसन्त और रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये।

(17) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक बिटोला पारधी (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना मलाजखण्ड में कार्यरत रहते हुये ए.एस.आई. बरकड़े एवं पुलिस बल हमराह स्टाप के साथ मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर ग्राम भीमजोरी मुमताज खान के घर के पास बाड़ी में मुमताज खान और इसराईल ने बैल को काट डाला था आरोपीगण पुलिस को देखकर भाग गये थे। सहायक उपनिरीक्षक डी.एस.बरकड़े ने वहां से कुछ मांस, हड्डी, पैर लोहे की कत्ता काटने वाले की जप्ती तैयार की थी एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संतोष चतुर्वेदी (अ.सा.08) एवं के.एन.नंद (अ.सा.09) तथा टीकाराम (अ.सा.12) व

दिलीप पटले (अ.सा.10) का कहना है कि दिनांक 19.02.2006 को थाना मलाजखण्ड में आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये जानवर काटने की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक डी.एस.बरकड़े के साथ ग्राम भीमजोरी घटनास्थल पर गया था तो एक जानवर की हड्डी व मांस तथा अन्य जानवर गाय, बैल मिले थे। घटनास्थल पर आरोपी इसराईल एवं एक अन्य व्यक्ति था। आरोपीगण ने बैल काटने पीटने के लिये रखे हुये थे।

(18) अभियोजन साक्षी/डाक्टर अरुण नेमा (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 20.02.2006 को कृत्तिक गृर्भाधान केन्द्र बिरसा में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत् रहते हुये हड्डी एवं मांस का परीक्षण किया था जिसमें उसने हड्डी, मांस, आंत को परीक्षण हेतु लेब सागर भेज दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है तथा एक बैल का परीक्षण थाने में ही किया था। बैल बहुत अधिक उम्र का एवं कमजोर था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है।

(19) अभियोजन साक्षी अरविंद हरिमाटे (अ.सा.01) का कहना है कि उसके सामने मुकेश अडमे से दो बरनी जो सीलबंद थी जप्त की थी जप्त पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि किस जानवर का मांस जप्त किया था, उसे नहीं मालूम।

(20) अभियोजन साक्षी राजू राहंगडाले (अ.सा.07) का कहना है कि उसके सानमे बसंत कुमार ने कोई बैल सुर्दर्पनामे पर नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसने एक सफेद रंग का वृद्ध बैल चांगोटोला भेजने के लिये सुपुर्दनामे पर लिया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पुलिसवालों ने जैसे बताया था वैसे ही बयान वह दे रहा है। उसने बैल कटते हुये नहीं देखा और पुलिसवालो को सूचना भी नहीं दी थी। पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

(21) अभियोजन साक्षी सुभाष कुमार (अ.सा.11) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी भुरू उर्फ इसराईल को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने आरोपी भुरू उर्फ इसराईल को उसके

सामने गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया।

(22) अभियोजन साक्षी टेबल प्रसाद (अ.सा.04) का कहना है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भुरु उर्फ इसराईल को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(23) अभियोजन साक्षी दलपतसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि उसके सामने आरोपी मुकेश आडमे से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी उसके सामने प्लास्टिक की बरनी में मास के टुकड़े व हड्डी इस बात से इन्कार किया।

(24) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी विवेचनाकर्ता एवं हमराह स्टाप ने आरोपी द्वारा दिनांक 19.02.2006 को समय करीब 12:10 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, थानान्तर्गत मलाजखण्ड में शासन द्वारा परिरक्षित पशु बैल को बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से वध किया एवं अपने आधिपत्य में एक बैल को अयुक्तियुक्त रूप से बांधकर रखा तथा अनावश्यक पीड़ा के वंशीकृत किया के संबंध में कथन किये किन्तु अभियोजन द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।

(25) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी भुरु उर्फ इसराईल ने दिनांक 19.02.2006 को समय करीब 12:10 बजे स्थान ग्राम भीमजोरी, थानान्तर्गत मलाजखण्ड में शासन द्वारा परिरक्षित पशु बैल को बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से वध किया एवं अपने आधिपत्य में एक बैल को अयुक्तियुक्त रूप से बांधकर रखा तथा अनावश्यक पीड़ा के वंशीकृत किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।



(26) परिणाम स्वरूप आरोपी भुरू उर्फ इसराईल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(27) प्रकरण में आरोपी भुरू उर्फ इसराईल पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(28) प्रकरण में जप्तशुदा एक सफेद रंग वृद्ध बैल सुपुर्दनामे पर है सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो एवं कत्ती तथा मास का टुकड़ा व हड्डी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)